



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर 305002



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
OFFICE OF REGIONAL
CONTROLLER OF MINES
Makhupura Ind. Area, Ajmer -
305002

संख्या - MCDR-MiFLOGEN/17/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक 06.08.2024

खान कोड 97RAJ14021

प्रेषित: Sh. Ramesh Chandra Vyas,
B-9, Shastri Nagar, Jodhpur (Raj.)-342001

विषय: राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में 4.88 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित आपकी भीयासर (475/2013) सिलिसियस अर्थ खान के संबंध में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड की जांच से पाया गया कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन हुआ है :-

नियम	उल्लंघनों के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(4)	<p>“The holder of a mining lease shall submit the mining plan to the competent authority for review at least one hundred and eighty days before the expiry of five years period for which it was approved on the last occasion, for mining operations for a period of five subsequent years.”</p> <p>The mining plan in respect of your Bhinyasar (475/2013) Siliceous Earth mine approved on 29.01.2015 <i>having proposals from 2015-16 to 2020-21</i> has expired on 31.03.2021. The Review of Mining Plan has been submitted on 10.07.2024 which was due to submit 180 before expiry of last approved mining plan on 29.01.2015.</p>

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के तहत अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली - 2017 का दिनांक 03.11.2021 को हुए संशोधन के अंतर्गत:

- (क) आपकी खान की संक्रियाएँ बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टा खंडित करने की अनुशंसा की जा सकती है।

03. आपका ध्यान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2021 के नियम 62(2) के तहत अनुसूची- 3 की तरफ आकर्षित किया जाता है जिसमें उपरोक्त नियम के उल्लंघन की स्थिति में प्रतिदिन 1000 /- रुपये तथा अधिकतम रु 5,00,000/- की रकम भुगतान का प्रावधान किया गया है। आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्रतः वांछित पेनल्टी राशि कार्यालय में जमा करवाएँ तथा ऐसा नहीं करने की स्थिति में आपके खिलाफ पैर 02 में वर्णित कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय

(एन. के. राव)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

I/37257/2024

प्रतिलिपी सूचनार्थ :

1. खान नियंत्रक (उ.आ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, शास्त्री सर्किल, उदयपुर ।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जैसलमेर ।
4. रक्षित पत्रावली

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो